

अनुपात 1: 10 किये जाने हेतु वेतनबैन्ड-1 रुपया 5200-20200 रु मा भेद वेतन रुपया 2800/- में राजस्व निरीक्षक के 590 (3224-2634=590) अतिरिक्त पदों को सृजित कराने का कष्ट करे। उक्त सृजित किये जाने वाले पदों पर पड़ने वाले एक वर्ष का कुल आवर्तक व्यय भार विवरण संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

आयुक्त एवं सचिव
कले आयुक्त एवं सचिव।

(धरम शाही)

भा. दीप,

AR

भूलेख अधिष्ठान के अर्न्तगत राजस्व निरीक्षक के पदों के सृजन हेतु अनुमानित आगणन

(धनराशि रुपये में)												
क्रमांक	पदनाम	वेतन बैंड	पद	अवधि (माह में)	वेतन दर	ग्रेड पे	वेतन एवं ग्रेड पे	वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत	वेतन	कुल वार्षिक वेतन	मॅहगाई भत्ता 130 प्रतिशत अनुमानित	अन्य भत्ता 8 प्रतिशत अनुमानित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजस्व निरीक्षक	5200-20200	590	12	5200	2800	8000	210	8210	58126800	75564840	4650150
बोनस 590 पदों हेतु 3500 की दर से												
										2065000	0	0
										60191800	75564840	4650150

अधीक्षक
6.1.16

प्रश्नक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०
अनुभाग-4, लखनऊ ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग-9,
लखनऊ ।

संख्या: - 5295/4-4एफ/2008
विषय- समस्त सरकारी कार्यों के सम्पादन एवं कुशल पर्यवेक्षण के दृष्टिगत, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पदों का अनुपात 1:10 किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक के 590 अतिरिक्त पदों का सृजन किये जाने के प्रस्ताव में ।
दिनांक 13/01/2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-366/ एक-9-15-89 (रा०नि०)/2014 दिनांक 27-02-2015 एवं शासनादेश संख्या-1372/ एक-9-2015-37 (पदसृजन)/2015 दिनांक 21-05-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा कमशः राजस्व निरीक्षक के 1308 अतिरिक्त अस्थाई पदों एवं लेखपाल के 5000 अतिरिक्त अस्थाई पदों का सृजन किया गया है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2015 द्वारा राजस्व निरीक्षकों के समस्त सरकारी कार्यों के सम्पादन एवं कुशल पर्यवेक्षण के दृष्टिगत राजस्व निरीक्षक के 1308 अतिरिक्त पदों का सृजन, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पदों का अनुपात 1: 10 को ध्यान में रखते हुए किया गया है । तत्समय लेखपाल के पदों की संख्या 27237 थी । उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2015 निर्गत किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-1372/ एक-9-2015-37 (पदसृजन)/2015 दिनांक 21-05-2015 द्वारा लेखपाल के 5000 अतिरिक्त अस्थाई पदों का सृजन किये जाने के उपरान्त वर्तमान में प्रदेश में लेखपालों की कुल संख्या 32237 हो गई है । इस तरह 1: 10 के अनुपात के आधार पर 32237 लेखपालों के सापेक्ष कुल 3224 राजस्व निरीक्षक के पदों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में मात्र 2634 राजस्व निरीक्षक के पद ही सृजित हैं ।

अतः शासन से अनुरोध है कि राजस्व निरीक्षकों के समस्त सरकारी कार्यों के सम्पादन एवं कुशल पर्यवेक्षण के दृष्टिगत राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पदों का